बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या–5 न0वि0/निर्वा–6/2017–   /न0वि0आ0वि0/पटना, दिनांक–

चूँकि नगर पंचायत, मेहसी एवं पकड़ीदयाल (पूर्वी चम्पारण) का कार्यकाल 24.07.2019 को समाप्त हो रहा है।

और चूँकि वैधानिक प्रावधानों के अधीन उन नगरपालिकाओं के लिए चुनाव कराना आवश्यक हो गया है;

अतः बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या–11, 2007) की धारा 441 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य के राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना की अनुशंसा पर एतद् द्वारा नगर पंचायत, मेहसी एवं पकड़ीदयाल (पूर्वी चम्पारण) के पार्षदों के निर्वाचन के लिये मतदान हेतु **14.07.2019** की तिथि नियत करते हैं तथा अपेक्षा करते हैं कि मतदातागण बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के उपबंधों के अनुसार पार्षदों को निर्वाचित करें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(चैतन्य प्रसाद)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–5 न0वि0/निर्वा–6/2017–   /न0वि0आ0वि0/पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित/ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 के साथ ई–गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि वे इस अधिसूचना की पच्चीस प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–5 न0वि0/निर्वा–6/2017–   /न0वि0आ0वि0/पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–संयुक्त निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को पत्रांक 928 दिनांक 21.05.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–5 न0वि0/निर्वा–6/2017– 2995 /न0वि0आ0वि0/पटना, दिनांक–18/6/19

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ प्रेषित।

18/6/2019
सरकार के प्रधान सचिव।